

## राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

क्रमांक:- स्था.(रा.न्या.से.)अवकाश/ 2267 /2024


दिनांक : 02.07.2024

श्रीमती अनु चौधरी (RJ00439), विशिष्ट न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम प्रकरण, श्रीगंगानगर को दिनांक 27.05.2024 से 01.06.2024 तक 06 दिनों का उपार्जित अवकाश दिनांक 02.06.2024 के राजपत्रित अवकाश के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है।

श्रीमती चौधरी की अनुपस्थिति में जिला एवं सेशन न्यायाधीश, श्रीगंगानगर ने इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल की।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति विशिष्ट न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम प्रकरण, श्रीगंगानगर के पद पर ही की गई।

आज्ञा से

  
रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक:-स्था.बी.2(4)/72/2002/ 5330

दिनांक : 02.07.2024

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम प्रकरण, श्रीगंगानगर को उनके पत्रांक 66 दिनांक 03.06.2024 के सन्दर्भ में।
3. श्रीमती अनु चौधरी (RJ00439), विशिष्ट न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम प्रकरण, श्रीगंगानगर।
4. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, श्रीगंगानगर।

  
01/7/2024  
सहायक रजिस्ट्रार